रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 2004/भाद्र 3, 1926
No. 189] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 25, 2004/BHADRA 3, 1926

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2004

सं. यू.-13034/40/2004-जी.पी.—यतः, केन्द्र सरकार की यह राय है कि उन परिस्थितियों की जांच करना आवश्यक है जिनमें दिनांक 3 अगस्त, 2004 को मोती दमन को नानी दमन से जोड़ने वाला दमनगंगा पुल टूटा था।

2. अतः, अब, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा डॉ० के. एस. सुगाथन, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय को उक्त जांच करने के लिए नियुक्त करती है। इस घटना के इंजीनियरी और अन्य तकनीकी पहलुओं के संबंध में उनकी सहायता मुख्य अभियंता रैंक के एक अधिकारी करेंगे जिन्हें इस प्रयोजन के लिए अलग से नामित किया जाएगा। जांच अधिकारी इस जांच में सहायता करने के लिए किसी अन्य तकनीकी विशेषज्ञ को सहयोजित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

3. इस जांच के विचारार्थ विषय निम्नलिखित की जांच करना और उनके बारे में रिपोर्ट करना होंगे :—

(i) जहां तक व्यवहार्य हो, इस नव-निर्मित पुल के टूटने के कारणों की जांच करना तथा उनका पता लगाना;

(ii) क्या नव-निर्मित पुल के डिजाइन में कोई अंतर्निहित कमियां थीं;

(iii) क्या इस पुल के टूटने की घटना से पूर्व की कुछ अवधि के आंकड़ों के आधार पर नदी में आने वाली सामान्य बाढ़, बाढ़ों के कारण होने वाले असामान्य प्रवाह, फ्लैश फ्लड्स एवं तुफानी लहरों के फलस्वरूप पुल की नींव तथा अधिसंरचना पर पड़ने वाले संभावित दबाव को पुल के डिजाइन में ध्यान में रखा गया था;

(iv) क्या कार्यकारी एजेंसी—मैसर्स नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एन. बी. सी. सी.) ने अपने संविदा-दायित्वों के अनुरूप समग्र रूप से जल-प्रवाह की तीव्रता संबंधी परीक्षणों सहित सभी अपेक्षित सर्वेक्षण एवं जांच तथा पुल के मौजूदा भाग की ढांचागत स्थिरता के आकलन संबंधी जांच करा ली थी;

(v) क्या मैसर्स नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन द्वारा कार्य-निष्पादन के लिए नियुक्त सभी एजेंसियों/परामर्शदाताओं/संविदाकारों को पुल के निर्माण में अपेक्षित विशेषज्ञता हासिल थी और क्या वे संविदा करार के अधिदेश के अनुसार विख्यात/मान्यप्राप्त थे;

(vi) क्या पुल का निर्माण पूरी तरह से अनुमोदित योजनाओं, डिज़ाइनों तथा विनिर्देशों के अनुसार किया गया था और क्या इसमें प्रयुक्त सामग्री अनुमोदित मानदंडों के अनुसार थी;

(vii) क्या इस कार्य के तकनीकी-आर्थिक परामर्शदाताओं के रूप में मैसर्स राइट्स ने जांच एवं निर्माण के पर्यवेक्षण के अपने सभी परामर्शक दायित्वों को अनुमोदित करार के अनुसार पूरा किया था और क्या इस पुल को आम जनता के लिए खोलने से पहले उन्होंने इसकी ढांचागत स्थिरता का समग्र रूप से प्रमाणन किया था;

(viii) क्या मैसर्स राइट्स ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि इस पुल के टूटने के पिछले इतिहास को ध्यान में रखते हुए जल-प्रवाह की तीव्रता, जल के तूफानी उतार-चढ़ाव तथा इस प्रकार के अन्य कारकों के संबंध में आवश्यक सभी तथ्यों को पुल के निर्माण में ध्यान में रखा गया है; और

(ix) अधिकारियों/एजेंसियों की, उनकी चूक एवं त्रुटियों, यदि कोई हों, के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करना।

4. जांच का कार्य और उसके बारे में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य 31 दिसम्बर, 2004 तक या इससे पहले पूरा कर लिया जाएगा।

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2004

No. U-13034/40/2004-GP.—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary to inquire into the circumstances which led to the collapse of Damanganga bridge connecting Moti Daman with Nani Daman on 3rd August, 2004.

2. Now, therefore, the Central Government hereby appoints Dr. K.S. Sugathan, Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs, to conduct the said inquiry. He shall be assisted in relation to engineering and other technical aspects of the incident by an officer of the rank of Chief Engineer who shall be separately nominated for the purpose. The Inquiry Officer will also be free to co-opt any other technical expert to assist in the inquiry.

3. The terms of reference of Inquiry shall be to ascertain and report:

(i) Investigate and ascertain as far as practicable the reasons for the collapse of the newly constructed bridge;

(ii) Whether there were any inherent defects in the design of the newly reconstructed bridge;

(iii) Whether the design took into account the likely pressure which would be brought to bear on the foundations and superstructure of the bridge because of normal flood in the river as well as abnormal discharge because of floods, flash floods, tidal waves based on observed data over a period of time prior to the occurrence;

(iv) Whether the executing agency-M/s. National Building Construction Corporation (NBCC) carried out all required surveys, investigations, including water current velocity tests as well as investigations to assess the structural stability of the existing portion of the bridge as a whole in accordance with their contractual obligations;

(v) Whether all agencies/consultants/contractors engaged by M/s. National Building Construction Corporation for execution of the work had the requisite expertise of bridge construction and were reputed/recognized as mandated by the contractual agreement;

(vi) Whether the construction of the bridge was strictly in conformity with the approved plans, designs and specifications, and, whether the material used was in accordance with the approved standards;

(vii) Whether M/s. RITES as techno-economic Consultants for the work, carried out all their consultancy obligations for checking and constructions supervision as per the approved agreement and, whether they had certified the structural stability as a whole of the bridge before it was opened for public use;

(viii) Whether M/s. RITES ensured that the bridge construction took into account all the data necessary in terms of current velocity, tidal variations and such other factors keeping in view the past history of collapse of the said bridge; and

(ix) Fix responsibility of officials/agencies for their acts of commission and omission, if any.

4. The Inquiry shall be completed and the report thereon submitted to the Government on or before 31st December, 2004.

RAJIV AGARWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.